न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 54 / 2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. इलियास पुत्र फतनखॉ जाति सिन्धी मुसलमान निवासी– रोजाणियों की बस्ती, तहसील सम, जिला जैसलमेर		1. गफूरखॉ पुत्र हयात खॉ सिन्धी मुसलमान निवासी– रोजाणियों की बस्ती, तहसील सम, जिला जैसलमेर 2. गुमानाराम पुत्र मंगलाराम 3. जीवणाराम पुत्र मंगलाराम 4. धाराराम पुत्र मंगलाराम, 5. चेलूराम पुत्र मंगलाराम, निवासीगण–सम, तहसील सम 6. गुलाम कादर पुत्र हैयात खॉ सिन्धी मुसलमान निवासी –रोजाणियों की बस्ती, तहसील सम, जिला जैसलमेर 7. कासम खॉ पुत्र हाजी सत्तार खॉ सिन्धी मुसलमान निवासी–रोजाणियों की बस्ती, तहसील सम, जिला जैसलमेर 8. खेरा पुत्र समद खॉ जाति सिन्धी मुसलमान निवासी– रोजाणियों की बस्ती, तहसील सम, जिला जैसलमेर 9. सरकार जरिये तहसीलदार सम जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.01.2023 जो उपखंड अधिकारी जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33 / 2023 अनवान गफूरखॉ बनाम गुमानाराम में पारित किया।

उपस्थितिः–

1. **श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।**
2. **श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।**
3. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 04 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सम के ख0सं0 138/905, 139/906, 138/907, 139/908 कुल रकबा 1.9416 हैक्टर आई हुई है जिसका सीमाज्ञान पटवारी सम से दिनांक 27.10.2022 को करवाने पर पडौसी खातेदारों के असंतुष्ट होने पर इस प्रार्थना पत्र के जरिये उल्लेखित खसरान भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2023 को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थी के पास किसी भी प्रकार के नोटिस प्राप्त नहीं हुए केवल मात्र अप्रार्थी के द्वारा अपने प्रभाव कुनिन्दा के साथ मिलकर चस्पादंगी की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करवा दिये, जो दिखावटी तरीके नोटिस तामील करवाये जिसके कारण अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी नहीं हुई थी। वर्तमान समय में तहसीलदार सम के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी को बेदखल किये जाने की कार्यवाही करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी के द्वारा दिनाक 6.1.2023 को ऐसा आदेश प्राप्त कर लिया है। ऐसे में जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील को तैयार कर प्रस्तुत की गई जिसमें जानबूझकर देरी नहीं की है अतः सद्भाविक व युक्तियुक्ति कारणों के आधार पर विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार की जावें। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने के दर्शाये गये कारणों को पर्याप्त व ठोस कारण नहीं बताया और म्याद प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरित मनमाना व त्रुटिपूर्ण है जो पूर्णतया गलत तरीके से पारित किया गया है जबकि वास्तविक रूप से जैसलमेर सेटलमेन्ट विभाग से प्रमाणित नक्शा तथा सेटलमेन्ट टीम के द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिया जाना था, अपीलाधीन आदेश में ऐसा किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। ऐसे में अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार सम के द्वारा रेस्पोडेन्टस के साथ मिलकर अवैध तरीके से सीमाज्ञान करवाते हुए कार्यवाही किये जाने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए अपीलार्थी को सुनवाई से वंचित करते हुए अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को जारी नोटिस पर लेने से इंकार करना अंकित किया हुआ है, ऐसे में चस्पादंगी से तामीली करवाने पर उसी स्थाई निवास पते के दो मौतबिरान के हस्ताक्षर होने चाहिये एवं तामील कुनिन्दा का शपथपत्र भी देना होता है। उक्त नोटिस पर नोटिस तामीली की दिनांक भी अंकित नहीं है न गवाह का सम्पूर्ण पता अंकित है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त खसरान भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित किये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र में अंकित सभी अप्रार्थीगण को सुनना चाहिये था। रेस्पोडेन्टस की विधिवत रूप से तामीली करवाने के लिये सीपीसी के प्रावधानों की किसी प्रकार से पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में यदि पत्थरगढी की कार्यवाही करवाई जाती है तो वह कार्यवाही भू–प्रबन्ध विभाग के मार्फत करवाई जावे तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.1.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान करने तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने निर्देश प्रदान करावें। अपीलान्टस अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये 2002 डीएनजे (एससी) 452, 2021 (2) डीएनजे, राज. 538

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उसकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सम के ख0सं0 138/905, 139/906, 138/907, 139/908 कुल रकबा 1.9416 हैक्टर आई हुई है। उक्त भूमि पर उनका लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार सम के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 27.10.2022 के द्वारा दिये गये निदेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा भूमि की पैमाइश कर मौका फर्द रूबरू गवाहों के समक्ष तैयार कर तहसील कार्यालय सम को पेश की गई। उक्त मौका पैमाइश से पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुए तथा रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे में रेस्पोडेन्ट पडौसी काश्तकारों को सन्तुष्ट करने व उनकी मौजूदगी में पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 ता 3 को कोई सरोकार नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट के द्वारा न तो उनकी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है, न ही उनसे कोई अनुतोष चाहा गया था परन्तु पडौसी खातेदार आपस में विवाद बढाने की नियत से पैमाइश/सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की जानकारी उनको भली भांति रही है, उनके द्वारा जानबूझकर नोटिस लेने से इंकार किया गया क्योंकि उनको यह ज्ञान था कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी या आपत्ति नहीं रही है। इस कारण से वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनावश्यक रूप से विवाद से बचने व होने वाले खर्चे से बचने की मंशा से ही मौन रहे है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा के समक्ष एकमात्र अपीलान्ट के द्वारा ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध इस प्रकार की अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है अन्य किसी पडौसी खातेदार ने कोई अपील पेश नहीं की गई है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार सम के द्वारा अप्रार्थीगण के नोटिस विधि अनुसार एवं पर्याप्त तामीली कार्यवाही नियमानुसार करवाइ गई है क्योंकि पडौसी खातेदार अनावश्यक खर्चे व विवाद से बचने की मंशा के आधार पर नोटिस लेने हेतु इंकार करने का तामीली कुनिन्दा को कहने पर कुनिन्दा के द्वारा इस प्रकार की चस्पादंगी रिपोर्ट 02 मौतबिरान के समक्ष करते हुए नोटिस तहसील कार्यालय को प्रेषित कर दिये थे। अपीलान्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक से आपसी बैर रखते हुए तथा दबाव बनाने की दृष्टि से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी वाली कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि में हो रखी फसलो की रक्षा करवाने के उद्देश्य से नेखमबन्दी/पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी कारित नहीं हुई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने अन्त में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश करने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी अथवा गलती नहीं की है जिसके आधार पर उसे निरस्त किया जाये। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अपनी उल्लेखित खसरान भूमि वाली खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए पडौसी खातेदारान/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किया जाना तथा पत्रावली में उक्त नोटिस अप्रार्थीगण के द्वारा लेने से इंकार करने तथा चस्पादंगी होकर अदम तामील होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में भी उक्त नोटिस को अदम तामील प्राप्त होना अंकित किया है। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे यह न्यायालय सहमत नहीं है और विधि विपरित पारित किये जाने के आधार पर निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संस्थित सभी अप्रार्थीगण को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जोधपुर